खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय): (क) और (ख) सरकार देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास के लिए विभिन्न उपाय कर रही है जिनमें अन्यों के साथ-साथ अधिकांश खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को उच्च प्राथमिकता वाला उद्योग घोषित करना, अल्कोहल पेयों के किण्वन और आसवन तथा लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों को छोड़कर अन्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को लाइसेंस मुक्त करना, घरेलू/विदेशी/अनिवासी भारतीय पूंजी निवेश को बढ़ावा देना, राजकोषीय रियायतें उपलब्ध कराना आदि शामिल है। इन उपायों के फलस्वरूप 1991 से लेकर अब तक बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए लगभग 260 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश वाले 31 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन पेश किए गए हैं। इनमें से 19 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश वाली दो परियोजनाएं कार्यान्वित की जा चुकी हैं।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय इस क्षेत्र के विकास के लिए अनेक योजना स्कीमें भी चला रहा है जो परियोजना विशेष हैं न कि राज्य विशेष। इन स्कीमों के तहत राज्य सरकार के संगठनों, संयुक्त क्षेत्र/सहायता प्राप्त क्षेत्र, सहकारिताओं, स्वयंसेवी संगठनों आदि को वित्तीय सहायता दी जाती है। बिहार से प्राप्त हुए प्रस्तावों के संबंध में भी सहायता दी गई है। प्रस्ताव फल तथा सब्जी प्रसंस्करण और मांस तथा पॉल्ट्री प्रसंस्करण आदि से संबंधित थे।

गेहूं की कमी के कारण आटा मिलों का बंद होना

3833. **श्री नरेन्द्र मोहन**: क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गेहूं की कमी के कारण देश के 600 से भी ज्यादा आटा मिलों ने आटे का उत्पादन बंद कर दिया है जिसके परिणामस्वरूप देश भर में आटे के मूल्य में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय): (क) और (ख) सरकार ने देश में खाद्यानों की भंडार स्थिति आदि जैसे विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के बाद देश में गेहूं की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए 1996-97 और 97-98 के दौरान 4.0 मिलियन टन गेहूं का आयात करने का निर्णय लिया ताकि खुले बाजार में इसकी कीमत पर नियंत्रण रखा जा सके। रोलर फ्लोर मिलिंग उद्योग को लाइसेंसमुक्त कर दिए जाने के बाद सरकार आटे की कीमतों को नियंत्रित नहीं करती है। यह उद्योग खुले बाजार से अपनी जरूरत अनुसार गेहूं खरीद सकता है। मिलों को भी केवल मिलिंग कार्यों के लिए गेहूं का आयात करने और उस गेहूं से तैयार आटे को ही घरेलू बाजार में बेचने की अनुमति है। मंत्रालय को देश में 600 आटा मिलों के बंद होने संबंधी कोई रिपार्ट प्राप्त नहीं हुई है।

Development of food processing industries of North-East Region

3834. SHRI W. ANGOU SINGH: Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) the details of programmes, projects, schemes sanctioned and yet to be sanctioned for the development of food processing industries in the North-East Region; and

(b) the details of amounts sanctioned for each programme, project and scheme of North-East Region, State-wise?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI DILIP KUMAR RAY): (a) Ministry of Food Processing Industries had operated many developmental plan schemes covering Fruits & Vegetable Processing sector, Meat & Poultry Processing sector, Grain Processing sector, Fisheries sector etc. during the 8th Five year Plan. These schemes are project specific and not state specific. Similar schemes are proposed to be implemented during the 9th Plan period also. Projects were sanctioned under these schemes for the North East States. Proposals received in future would also be considered on its merit.

(b) A statement indicating the funds released in respect of proposals received from the different States of North-East Region during the 8th Plan period is enclosed.

Statement

The Funds Released to North-East Region During 8th 5 year plan period

Name of the State	Amount (Rs. in Lakhs)
Arunachal Pradesh	5.29
Assam	1184.78
Manipur	202.79
Meghalaya	42.37